[श्री रामेश्वर सिंह]

कहा कि हम बलेटिंग करायेंगे। यह ठीक नहीं है। जिनका नाम पहले आया है, जिन्होंने पहले नाम अपना दिया है। ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : बहुत से आदमी दिये हैं क्लैरीफिकेशन के लिए व्हाट कैन आई डू।

श्री रामेश्वर सिंह : एक परम्परा को चलाइये जो चलाते रहे हैं... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, the House has agreed to this suggestion. So many names have come. I said, all names should be included and a ballot should be drawn, so that one may not say that his name is not here and so on.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : वक्तव्य पर बहस होगी या नो डे येट मोशन जो आपने तय किया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be a short-duration discussion. 'The latest situation in Sri Lanka.'

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इन्होंने ठीक बात कही है कि अच्छा यह होगा कि जिनके जिनके नाम आये हैं अगर किसी ने शार्ट ड्यूरेशन का नोटिस दे दिया है तो उसी को (व्यवधान) दीजिए। अगर किसी ने नोटिस दिया ही नहीं है (व्यवधान)

श्री उपसभापति : बहुत से लोगों ने नोटिस, फार्म पर दिया है, बहुत से लोगों ने क्लैरीफिकेशन के लिए नाम दिया है, बहुतों ने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर डिसकशन के लिए दिया है।

There are different forms. Therefore, I said, all names should be included and a ballot should be drawn. We should have one uniform pattern whatever may be the form.

श्री बुद्धप्रिय मौर्य, आप कृपा करके 10 मिनट में समाप्त करें क्योंकि दूसरा रिजोल्यूशन भी लेना है।

RESOLUTION RE. PROVIDING FREE AND COMPULSORY EDUCATION FOR ALL CHILDREN UNTIL THEY COMPLETE THE AGE OF EIGHTEEN YEARS—(contd)

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : हमारा आपस में तय हो गया है। वे पांच मिनट में मूव करेंगी, यह तय हो गया है। इसलिए आप बीच में नहीं आयेंगे।

श्रीमती रोडा मिस्त्रि : मुझे आपका एश्योरेंस चाहिए कि मेरा रिजोल्यूशन आज आयेगा।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : आदरणीय उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही साथ मैं श्रीमन्, यह भी कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने किस प्रकार की शिक्षा हो, इस पर ज्यादा जोर दिया। मैंने अपना रिजोल्यूशन मूव करते समय कहा था कि सही शिक्षा, सही तालीम हो, यह शब्द हर जगह मैंने इस्तेमाल किया था। मैंने यह भी कहा था कि बच्चे की बुद्धि का विकास जितनी शक्ति और क्षमता के साथ उसकी मातृभाषा में किया जा सकता है उतना किसी विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता है, चाहे वह विदेशी भाषा कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। लेकिन उस परम्परा को हमने निभाया नहीं है। मैं किसी भाषा का दुश्मन नहीं हूं, मैं स्वयं 24 वर्ष तक विद्यार्थी रहा हूं और सात वर्ष तक अध्यापक रहा हूं। मैं हर भाषा का आदर करने वाला हूं। लेकिन विदेशी भाषा में बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, यह आज के जिम्मेदार नेताओं को भी मान लेना चाहिए। हमारा जोर लगातार अंग्रेजी पर बहुत रहा और क्षेत्र की भाषाओं पर

राष्ट्र की भाषाओं के विकास पर नहीं रहा। मैं उस चर्चा में इस लिए नहीं जा रहा हूं कि उससे इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। मैंने यहां पर निवेदन किया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था संविधान में संविधान के विधाताओं ने दी थी और यह निश्चित किया था कि 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी और यहीं पर नहीं छोड़ा था उसको बल्कि कहा कि यह 10 साल तक पूरा कर दिया जायेगा, सन् 60 तक पूरा हो जाना चाहिए था। यह मेरी मान्यता है कि अगर आज शिक्षा का इतना प्रसार और प्रचार हो गया होता तो निश्चय पूर्वक जो साम्प्रदायिकता आज उमड़ कर आ रही है वह उतनी नहीं होती, फिरका-परस्ती उतनी नहीं होती। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि हिटलर भी शिक्षित था लेकिन उसकी सही तालीम नहीं था जो उसको शिक्षित मानते हैं, मानते रहें, मैं उसको सही माने में तालीमयाफ्ता इन्सान नहीं मानता हूं। जो भी हिंसा में विश्वास करता है, जितना अपने को विद्वान क्यों न कहे लेकिन हिंसा में विश्वास करने वाला इन्सान मेरी निगाह में अशिक्षित है, बेपढ़ा लिखा है।

यहां पर हिटलर को मिसाल दी गई। मने शिक्षा के तरीके पर जोर नहीं दिया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त (उत्तर प्रदेश): हिटलर पढ़ा-लिखा था, शिक्षित नहीं था।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: मैंने यहां पर जोर दिया था, जो कुछ भी मैंने यहां कहा था, उसमें जोर दिया था कि सही तालीम और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा--चौदह वर्ष तक की माननीय सुकुल जी ने कहा कि संविधान में भी चौदह वर्ष तक की व्यवस्था थी और भी माननीय सदस्यों ने कहा है, लेकिन कब थी? मैं मानता हूं आपकी बात। यह कब थी? यह 1949, 1950 में थी। आज 32 वर्ष के बाद, अट्ठारह वर्ष की बात तो करिए।

एक माननीय सदस्य: कमी पूरी नहीं हुई।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: वह पूरी नहीं हुई, वह हमारी कमजोरियां रहीं, क्योंकि कुछ तो कमजोरियों रहीं कि 36 करोड़ की आबादी को बढ़ा कर 72 करोड़ कर दिया, दुगनी आबादी कर दी, कुछ तो आबादी की वजह से। हां, आबादी को रोकना चाहिए था, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ कमियां भी रहीं। आज हम सन् 1983 में हैं, आज हम 1949, 1950 या 1981 में नहीं हैं। इसलिए अट्ठारह वर्ष तक की बात कही थी।

श्री रामेश्वर सिंह: (उत्तर प्रदेश): मौर्य जी आप तो समाजवादी रहे हैं।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: मैं रहा नहीं हूं अब भी हूं।

श्री उपसभापति: रामेश्वर सिंह जी, कृपा करके इनको समाप्त करने दीजिए। समय बहुत कम है, इनको बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: माननीय मित्र जी इस समय यहां नहीं हैं, उन्होंने जो कहा था, मैं मानता हूं कि वे कानून के विशेषज्ञ हैं और खास तौर से इंटरप्रेटेशन के--उन्होंने कहा कि यह जो फिसिपेरस टेंडेंसीज़ हैं, इन दि नेम आफ कास्ट एण्ड रिलीजन, यह तो ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग भड़काते हैं, मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। जहां मैं 24 वर्ष तक विद्यार्थी

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य] : रहा और जहां मैं सात वर्ष तक कनून पढ़ाता रहा, वहां मैंने करीब सोलह साल तक संसद का जीवन भी बिताया है। उस तजुर्बे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चितपूर्वक वे अगुवा नेता, पढ़े-लिखे नेता अपने को मानने वाले लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन वह बेपढ़े लिखे लोगों को ही जाति और धर्म के आधार पर भड़का सकते हैं। यदि समाज शिक्षित हो, तो इतनी आसानी से भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या जति के आधार पर उनको गुमराह नहीं किया जा सकता या राष्ट्र की सम्पत्ति को जलाने के लिए उन्हें तैयार नहीं किया जा सकता या अलगाव की भाषा के लिए उनको तैयार नहीं किया जा सकता ।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा से जुड़ी अगर सही तालीम है, तो तालीम-याफता, शिक्षित व्यक्ति, नौजवान धर्म और जाति के आधार पर बहुत जल्दी से उकसाया नहीं जा सकता, अगर उसको सही तालीम मिली है । मैंने हमेशा से सही तालीम का जिक्र किया था ।

श्रीमन्, आज हमें देखना होगा कि भारतवर्ष का क्या भूगोल है ? हम तीन तरफ समुद्र से घिरे हैं, तो हमारी शिक्षा से समद्र का ज्ञान जुड़ना चाहिए। मैंने इस शिक्षा के आधार पर नहीं लिया। मैं शिक्षा के आधार पर कभी फिर प्रस्ताव लाऊंगा और उस पर बोलूंगा कि हमारी शिक्षा समुद्र के ज्ञान से जुड़े । हम आज जो उद्योग में दुनिया के दस मुल्कों में गिने जाते हैं, टैक्नीकल नो-हाऊ में तीन मुल्कों में गिने जाते हैं, लेकिन आज भी 70 से 75 प्रतिशत भारतवर्ष की जनता सीधे-सीधे खेती से संबंध रखती है । तो हमारी शिक्षा का सीधे-सीधे संबंध खेतिबाड़ी से हो, हमारी शिक्षा का सीधे-सीधे संबंध कृषि से हो कि किस तरह बच्चे को पढ़ाते समय हम सिखायें, इंजीनियर बनायें ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कोयले की खाने हैं, लेकिन जो व्यवस्था है--माननीय पंत जी मंत्री भी रहे हैं, जो विशेषता हमें प्राप्त होनी चाहिए कोयले की खानों से कोयला निकालने या उसमें पानी आ जाए, तो किस तरह से बचाने की जो विशेषज्ञता जो ज्ञान हमको होना चाहिए, उतना ज्ञान हमको नहीं है और उन मुल्कों को ज्यादा है जिनमें कि कोयले की खानें हमारे मुल्क के मुकाबले में कम हैं । यह क्यों ? क्योंकि हमने आधार नहीं बनाया कि जब हमारे यहां कोयले की खानें हैं, तो हमारी शिक्षा का भी आधार वह बने। जब हमारे यहां और दूसरे खनिज पदार्थ हैं, तो वह हमारी शिक्षा का आधार बने । हमारे यहां की बीमारियों को अमरीका की बीमारियों से नहीं मिलाया जा सकता । कौन सी बीमारियां हैं, उसी आधार पर मेडिकल साइंस का ज्ञान मिले। यहां मैंने देखा है, मैं कानून का विद्यार्थी भी रहा, और अध्यापक भी रहा हूं, एल०एल० एम० पास किये हुए मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं--यह मत कहिएगा कि तेरे पढ़ाने में ही दोष होगा--और बहुत से पढ़ाने वालों के भी विद्यार्थी होंगे, लेकिन एल०एल० एम० पास करने के बाद विद्यार्थी को यह ज्ञान नहीं होता कि मुलजिम का वकील किधर खड़ा होता है और सरकारी वकील किधर खड़ा होता है ।

यह क्यों है ? हाई स्कूल के बाद हम निश्चित कर लें कि इस को वकील बनाना है, इस को जज बनाना है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, इंजीनियर

बनाना है, टेक्नोक्रेट बनाना है, ब्यूरोक्रेट बनाना है—हायर सेकेंडरी के बाद उसको ऐसी शिक्षा दें। नाजमा जी ने इस बात को उठाया था। मेरा प्रस्ताव इस पर नहीं है। मालूम नहीं माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा क्यों छेड़ी। मेरा प्रस्ताव था, मेरी यह मान्यता है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा इस देश के बालक और बालिकाओं को मिले ताकि वे इस देश के सही माने में नागरिक बन सकें आगे चल कर। मेरा प्रस्ताव यह नहीं था कि बेकारी को दूर कैसे किया जाये। हायर सेकेंडरी करने पर थर्ड क्लास में पास होता है या कम्पार्टमेंट आता है तो उसे, चाहे मंत्री का लड़का क्यों न हो, डिग्री कालेज में नहीं लिया जाना चाहिए, उसे बढ़ई का काम सिखाओ, इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाओ या सेमी-स्किल्ड लेबर बनाओ या दूसरे क्षेत्रों में ले जाओ। शिक्षा किस तरह की हो इस पर प्रस्ताव आयेगा कभी तो मैं चर्चा करूंगा। मेरा प्रस्ताव यह नहीं था। मेरा यह प्रस्ताव था कि 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले यह संविधान में व्यवस्था थी, '50 में थी, नहीं पूरी हुई। आज मेरी मान्यता है सन- '83 में कि 18 वर्ष तक के बालिक-बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। यह मेरा प्रस्ताव था माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, तहे दिल से किया। मैं उनका आभारी हूं, लेकिन कुछ माननीय सदस्य प्रस्ताव से हट गये। मेरा प्रस्ताव तो कम्पलसरी एजूकेशन, यूनीवर्सल एजूकेशन के लिए था। इसके कुछ कारण हैं। श्रीमन, मैं अपने जीवन में भुक्त-भोगी रहा हूं। मैं 9 वर्ष का हो गया था, जानवर चराता था।

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : क्या चराता था ?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : सीताराम को नहीं चराता था, मैं चराता था जानवर, ग्वाला था 9 वर्ष की उम्र पर। मैं इस कहानी को कह कर समाप्त कर दूंगा—अपनी बीती।

श्रीमती रोडा मिस्त्रि : कहानी है ?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : हकीकत है। आप के लिए कहानी, मेरे लिए हकीकत है। तो एक आदमी के सामने कागज था, उसको देख कर वह कभी जोर से बोलता था, कभी हंसता था, कभी गम्भीर हो जाता था। मैं अनपढ़, गंवार, ग्वाला, मेरे दिमाग में आया यह तो जादूगर है। मैंने अपने दादा से आकर कहा कि मैंने आज एक जादूगर देखा, कागज से बोलता था, दादा ने कहा तू भी सीखेगा। मैंने कहा मैं भी सीखूंगा तब जा कर पढ़ने का रवैया शुरू हुआ। वह अनिवार्य शिक्षा मेरी न होती, प्राइमरी एजूकेशन न हुई होती, हाई स्कूल-मिडिल की शिक्षा न हुई होती तो आज इस सदन में नहीं, कहीं बैठा बूटपालिश कर रहा होता या टी बी का शिकार हो कर मर गया होता। शिक्षा का इतना महत्व है जीवन में।

श्री सीताराम केसरी : टी बी का शिकार नहीं होने देते।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : हो जाता। मेरे बहुत से गांव के लोग मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना खाने को नहीं मिलता। मेरे घर को आज़ादी का फायदा मिला है, करीब करीब 70 मेरे परिवार के लोग गजेटेड आफीसर हो गये हैं। लेकिन मेरे ही गांव में हर तीसरा घर टी बी का शिकार है, चल कर देख लीजिए। मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा का कितना महत्व है। इस शिक्षा के महत्व को **(समय की घंटी)**...पांच मिनट में...

श्री उपसभापति : कुछ और भी काम होगा ।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : 5 मिनट देने की हमारी उन से बात हो चुकी है ।

श्री उपसभापति : अब समाप्त करिये, काफी बहस हो गयी है ।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : पांच मिनट उनसे तय है । इस पर बहस ही नहीं हुई । इस पर जिस तरह से बहस होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, यही मेरी परेशानी है । आप इतनी जिद करते हैं नहीं बोलता हूं । मेरी सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि मजबूत कदम उठा कर आगे बढ़ें और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें । अगर वे मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते तो मैं नही जोर देता कि इस पर बटन दबाया जाये । इन्हे शब्दों के साथ मैं बैठ जाता हूं । क्योंकि आप बहुत ज्यादा आतुर हैं कि मैं और न बोलूं । कुछ मुद्दे थे जिन पर बोलना चाहता था ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the amendment of Shri Yadav to vote.

"That at the *end* of the Resolution, the following be *added*, namely:—

"and for the closure of public schools to achieve uniformity in education."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to the Mover to withdraw his Resolution."

The motion was adopted.

* * * *

The Resolution was, by leave, withdrawn

***For text of the Resolution, see R.S. debates dated 29th July, 1983.

RESOLTION RE. LEGISLATION TO MAKE LEGAL AID ORGANISATIONS FOR THE NEEDY AND POOR STATUTORY

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up the second motion by Shrimati Roda Mistry.

SHRIMATI RODA MISTRY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, how much time will you give me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ten minutes.

SHRIMATI RODA MISTRY: Thank you.

Sir, I beg to move the following Resolution:—

"Having regard to the fact—

that the Boards established for administering Legal Aid and Advice Schemes formulated for providing legal aid to the poor do not enjoy sufficient authority for implementation of the same in a comprehensive manner;

that State Governments are not seriously motivated in implementing the schemes;

that no proper publicity programmes are being formulated by State Governments for making the legal aid schemes successful; and

that the said Boards continue doing good work despite not having sufficient legal, administrative and financial powers;

this House recommends that Government should bring forward suitable legislation to make the legal aid organisations at the Centre and the States statutory with adequate, lowers and full authority to perform their tasks successfully for the needy and poor of the country."

Sir, the resolution is moved by me to urge this august House to take notice of the multifarious difficulties faced by the legal aid and advice schemes set up by the Government of India in 1981, and to